



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09102026-277011
CG-MH-E-09102026-277011

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 605]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 7 अक्तूबर, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(प्रतिभूति बाजार में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) (संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. सेबी/एल.ए.डी-डी.ओ.पी/2026/319.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, 12 और 19 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, -

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 में, -

- I. विनियम 3(1) के परंतुक को छोड़कर, शब्द “सहयुक्त व्यक्ति”, शब्द “सहयुक्त व्यक्तियों”, शब्द तथा चिह्न “सहयोगी (सहयुक्त) व्यक्ति” और शब्द तथा चिह्न “सहयोगी (सहयुक्त) व्यक्तियों”, जहाँ कहीं भी दिए हुए हों (जिसमें इन विनियमों का शीर्षक भी शामिल है), उनके स्थान पर क्रमशः शब्द “निर्धारित व्यक्ति”, “निर्धारित व्यक्तियों”, “निर्धारित व्यक्ति” और “निर्धारित व्यक्तियों” आ जाएँगे।
- II. विनियम 2(1) में,
- (i) खंड (ग) हट जाएगा;
- (ii) खंड (ठ) में, चिह्न “I” के स्थान पर चिह्न “;” आ जाएगा;
- (iii) खंड (ठ) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् –
- “(ड) “निर्धारित व्यक्ति” का अर्थ है – किसी इंटरमीडियरी (मध्यवर्ती) का प्रिंसिपल (प्रधान-व्यक्ति) या कर्मचारी या फिर शेयर बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट / प्रतिभूति बाजार) के कारोबार में लगा हुआ कोई एजेंट या डिस्ट्रिब्यूटर या कोई दूसरा व्यक्ति (नैचुरल पर्सन), और जिसमें किसी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक या विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक का वह कर्मचारी भी शामिल है जो भारत में कार्यरत हो।”
- III. विनियम 2(2) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों “कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)” आ जाएँगे।
- IV. विनियम 4(1) में,
- (i) खंड (ग) में, चिह्न “I” के स्थान पर चिह्न तथा शब्द “; या” आ जाएँगे;
- (ii) खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् –
- “(घ) एन.आई.एस.एम. (राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान) द्वारा बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित किया गया कोई पाठ्यक्रम (कोर्स) या प्रोग्राम उत्तीर्ण करके।”
- V. विनियम 4(2) में, शब्दों, चिह्नों, अंक तथा अक्षरों “प्रधान-व्यक्ति होते हुए सहयुक्त व्यक्ति उप-विनियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट रीतियों में से किसी रीति में प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा।” के स्थान पर शब्द, चिह्न, अंक तथा अक्षर “जो निर्धारित व्यक्ति प्रिंसिपल (प्रधान-व्यक्ति) हो, उसे प्रमाणपत्र उसी तरह हासिल करना होगा, जैसा उप-विनियम (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में बताया गया है।” आ जाएँगे।
- VI. विनियम 4(3) में, शब्दों, अंकों तथा चिह्नों “विनियम 3 के उप-विनियम (1) के तहत, बोर्ड द्वारा बताई जाने वाली तारीख” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “यथास्थिति, परीक्षा देने की तारीख या सी.पी.ई. हासिल करने की तारीख या फिर पाठ्यक्रम (कोर्स) या प्रोग्राम (जो एन.आई.एस.एम. द्वारा बोर्ड के परामर्श से निर्धारित किया जाए) में दाखिला लेने की तारीख” आ जाएँगे।
- VII. विनियम 4(3) में, शब्द, चिह्नों तथा अक्षर “खंड (ख)” के बाद और शब्दों “में बताया गया है” से पहले शब्द, चिह्न तथा अक्षर “या खंड (घ)” जोड़े जाएँगे।
- VIII. विनियम 4(4) में, शब्दों, चिह्नों, अंकों तथा अक्षर “सहयुक्त व्यक्ति, उप-विनियम (2) या उप-विनियम (3) में उल्लिखित से भिन्न, उप-विनियम (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट रीति में प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा।” के स्थान पर शब्द, चिह्न, अंक तथा अक्षर “जिस निर्धारित व्यक्ति का जिक्र उप-विनियम (2)

या उप-विनियम (3) में किया गया है, उसे छोड़कर कोई दूसरा निर्धारित व्यक्ति प्रमाणपत्र उसी तरह हासिल करेगा, जैसा उप-विनियम (1) के खंड (क) या खंड (घ) में बताया गया है।” आ जाएँगे।

- IX. विनियम 5 के शीर्षक और विनियम 5(1) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों “प्रमाणपत्र की विधिमान्यता कालावधि.- (1) विनियम 3 के अधीन प्रदान किया गया प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने या उसके पुनर्विधिमान्यकरण, यथास्थिति, की तारीख से तीन वर्षों की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा।” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “प्रमाणपत्र कब तक मान्य (विधिमान्य) रहेगा.- (1) विनियम 3 के तहत प्रदान किया गया प्रमाणपत्र, यथास्थिति, प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख या उसकी मान्यता बढ़ाए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक या बढ़ाई गई उस दूसरी अवधि तक मान्य रहेगा जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए।” आ जाएँगे।

- X. विनियम 5(2) में,

- (i) शब्दों तथा चिह्न “सहयुक्त व्यक्ति द्वारा धारित प्रमाणपत्र की विधिमान्यता समाप्त हो जाने पर,” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “जब तक बोर्ड द्वारा कोई और प्रावधान न किया जाए, तब तक निर्धारित व्यक्ति के पास जो प्रमाणपत्र है उसकी मान्यता (विधिमान्यता) की अवधि समाप्त हो जाने पर,” आ जाएँगे;
- (ii) शब्दों, चिह्नों तथा अंक “प्रमाणपत्र को एक समय में तीन वर्षों की कालावधि के लिए पुनर्विधिमान्य किया जाएगा, परंतु सहयुक्त व्यक्ति इन विनियमों के अध्याय IV के अनुसार राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट सतत् व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करता हो।” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “उसकी मान्यता की अवधि एक बार में तीन वर्षों के लिए बढ़ाई जाएगी या उस दूसरी अवधि के लिए बढ़ाई जाएगी जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए, बशर्ते कि वह निर्धारित व्यक्ति इन विनियमों के अध्याय-IV के अनुसार एन.आई.एस.एम. द्वारा निर्धारित किया गया सी.पी.ई. सफलतापूर्वक पूरा कर ले।” आ जाएँगे।

- XI. विनियम 11 के बाद, निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

“दूसरे विनियमों में संशोधन

12. इन विनियमों की अनुसूची में जिन विनियमों का जिक्र गया है, उनमें उसी तरीके से और उतना संशोधन हो जाएगा, जैसा वहाँ बताया गया है।”

- XII. विनियम 12 के बाद, निम्नलिखित नई अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात् -

“अनुसूची

[विनियम 12 देखें]

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में संशोधन

विनियम 17क(4) में, शब्दों “सहयुक्त व्यक्तियों” के स्थान पर शब्द “निर्धारित व्यक्तियों” आ जाएँगे और शब्दों “असोसिएटेड पर्सन्स” के स्थान पर शब्द “स्पेसिफाइड पर्सन्स” आ जाएँगे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) विनियम, 2004 में संशोधन

- (i) विनियम 2(1)(डक) में, शब्दों “सहयुक्त व्यक्तियों” के स्थान पर शब्द “निर्धारित व्यक्तियों” आ जाएँगे।
- (ii) विनियम 2(1)(जक) में, शब्दों “सहयुक्त व्यक्तियों” के स्थान पर शब्द “निर्धारित व्यक्तियों” आ जाएँगे।”

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./374/2026-27]

टिप्पणी :

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 (अधिसूचना फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/4567) 17 अक्तूबर 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार 15 जुलाई, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) (संशोधन) विनियम, 2025 (अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/251) द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th October, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (CERTIFICATION OF ASSOCIATED PERSONS IN THE SECURITIES MARKETS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

F.No. SEBI/LAD-DOP/2026/319.— In exercise of the powers conferred by section 30 read with sections 11, 12 and 19 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007, namely, -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) (Amendment) Regulations, 2026.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007, -
 - I. The words “associated person”, “an associated person” and “associated persons” wherever they appear, including in the title of the regulations, except in the proviso to regulation 3(1), shall be substituted with the words “specified person”, “a specified person” and “specified persons” respectively.
 - II. In regulation 2(1),
 - (i) clause (c) shall be omitted;
 - (ii) in clause (l), the symbol “.” shall be substituted with the symbol “;”;
 - (iii) after clause (l), the following new clause shall be inserted, namely –

“(m) “specified person” means a principal or employee of an intermediary or an agent or distributor or other natural person engaged in the securities market business and includes an employee of a foreign portfolio investor or a foreign venture capital investor working in India.”.
 - III. In regulation 2 (2), the words, symbols and numbers “the Companies Act, 1956 (1 of 1956)” shall be substituted with the words, symbols and numbers, “the Companies Act, 2013 (18 of 2013)”.

- IV. In regulation 4(1),
 (i) in clause (c), the symbol “.” shall be substituted with the words and symbols “; or”;
 (ii) after clause (c), the following new clause shall be inserted, namely –
 “(d) by passing a course or programme as may be specified by NISM in consultation with the Board from time to time.”
- V. In regulation 4(2), after the words and symbols “clause (c)” and before the words and symbols “of sub regulation (1)”, the words and symbols “or clause (d)” shall be inserted.
- VI. In regulation 4(3), the words, symbols and numbers “as may be specified by the Board under sub regulation (1) of regulation 3” shall be substituted with the words and symbols, “of appearing for examination or date of obtaining CPE or date of enrolment in course or programme as may be specified by NISM in consultation with the Board, as the case may be”.
- VII. In regulation 4(3), after the words and symbols “clause (b)” and before the words and symbols “of sub regulation (1)”, the words and symbols “or clause (d)” shall be inserted.
- VIII. In regulation 4(4), after the words and symbols “in clause (a)” and before the words, symbols and numbers “of sub regulation (1)”, the words and symbols “or clause (d)” shall be inserted.
- IX. In regulation 5(1), after the words “for a period of three years” and before the words “from the date of the grant”, the words “or for such other extended period as may be specified by the Board” shall be inserted.
- X. In regulation 5(2),
 (i) before the words “Upon expiry” the words and symbols “Unless otherwise provided by the Board,” shall be inserted;
 (ii) after the words “for a period of three years” and before the words “at a time,” the words “or for such other extended period as may be specified by the Board” shall be inserted.
- XI. After regulation 11, the following new regulation shall be inserted, namely –
 “Amendment to other regulations.
 12. The regulations specified in the Schedule to these regulations shall be amended in the manner and to the extent stated therein.”
- XII. After regulation 12, the following new Schedule shall be inserted, namely –
 “SCHEDULE
 [See Regulation 12]
1. Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993.
 In regulation 17A(4), the words “Associated Persons” shall be substituted with the words “Specified Persons”.
 2. Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Self Regulatory Organizations) Regulations, 2004.
 (i) In regulation 2(1)(ea), the words “Associated Persons” shall be substituted with the words “Specified Persons”.
 (ii) In regulation 2(1)(ha), the words “Associated Persons” shall be substituted with the words “Specified Persons”.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./374/2026-27]

Note: The Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 was published in the Gazette of India on October 17, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/4567(b) and was last amended by the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/251.